राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2025 दिनांक : 29.01.2025

आज्ञा

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 8 एवं 51 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 47 में दिए गए निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक पदार्थों विशेषतः मदिरा के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुए प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आबकारी एवं मद्य संयम नीति जारी की जाती है। साथ ही, नीति का उद्देश्य हथकढ़ व अवैध मदिरा की रोकथाम करना, आमजन एवं मदिरा उपभोक्ताओं में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करते हुए मदिरा के उपभोग को हतोत्साहित करना जिससे जिम्मेदार नागरिक के रूप में मदिरा के संयमित उपभोग हेतु जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध करवाना तथा आबकारी राजस्व के ह्रास को इस नीति में निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकना भी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आबकारी एवं मद्य संयम नीति के निर्धारण में निम्नांकित बिन्दुओं पर भी समुचित विचार किया जाकर प्रावधान किए गए हैं:–

(i) राज्य में आबकारी एवं मद्यसंयम नीति प्रतिवर्ष या कभी–कभी दो वर्ष के लिए जारी की जाती रही है। देश के अन्य राज्यों में भी लगभग इसी प्रकार वार्षिक आबकारी नीति जारी करने की परिपाटी है जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए लम्बी अवधि की नीति जारी की जाती है। सरकार द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2024–25 में अलग–अलग नीतियां जारी की हैं जिनकी परिचालन अवधि दिनांक 31.03.2029 तक समान रूप से निर्धारित की गई है। आबकारी विभाग से जुड़े स्टैक होल्डर्स को भी व्यवसाय की निरंतरता तथा स्थिर नीतियों का लाभ मिल सके तथा वे लंबे समय के लिए पूर्वानुमान लगाकर व्यावसायिक निर्णय ले सकें, इस दृष्टि से सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई नीतियों के अनुरूप आबकारी एवं मद्यसंयम नीति की परिचालन अवधि भी 31.03.2029 तक निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। परिचालन अवधि में नीति के प्रावधानों की प्रतिवर्ष समीक्षा किए जाने व तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रावधान भी नीति में किया गया है।

(ii) मदिरा दुकानों के आवंटन की वर्तमान पारदर्शी व्यवस्था को निरंतर रखते हुए समयबद्ध बंदोबस्त एवं सफल संचालन हेतु कई सुधारात्मक प्रावधान नीति में प्रस्तावित किये गये हैं, जो मुख्यतः निम्नानुसार हैं:–

a) वर्तमान में दुकानवार आवंटन की व्यवस्था है जिसमें एक क्षेत्र में एक से अधिक दुकान होने पर उनके बंदोबस्त तथा संचालन में व्यवहारिक कठिनाई आती है। इसके समाधान हेतु नीति में दुकानों के समूहवार आवंटन का प्रावधान किया गया है। एकाधिकार की स्थिति को रोकने हेतु एक जिले में दो समूह तथा पूरे राज्य में पाँच समूह की सीमा भी निर्धारित की गई है।

b) समूहवार दुकानों के आवंटन के साथ ही दुकानों की संख्या को यथावत रखते हुए विवेकीकरण द्वारा उनका पुनः वितरण व क्षेत्र निर्धारण तथा न्यूनतम रिजर्व प्राईस के पुनः निर्धारण का निर्णय लिया गया है। नीति की अवधि में मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को नवीनीकरण का अवसर दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

c) मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों के लिए आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024–25 में वार्षिक गारंटी राशि तथा न्यूनतम रिजर्व प्राईस के निर्धारण, गारंटी राशि के उठाव आदि के संबंध में सरलीकरण व सुधारात्मक प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान नीति में अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा के स्थान पर अन्य मदिरा यथा आई.एम.एफ.एल., बीयर आदि के उठाव का विकल्प देने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(iii) मदिरा के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु इस व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञाधारियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक निश्चित सीमा में ई.डी.पी./ई.बी.पी./ई.डब्ल्यू.पी. का निर्धारण करने व कमी/वृद्धि करने की स्वतंत्रता दिये जाने का प्रावधान इस नीति में किया गया है।

(iv) छोटी उत्पादक इकाईयों यथा बोटलर्स, जिन्हें Economies of Scale का लाभ नहीं मिल पाता है, को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने हेतु 1 रुपया प्रति बल्क लीटर की दर से राज्य के बाहर से ई.एन.ए. क्रय कर राज्य में लाने हेतु 3 लाख बल्क लीटर वार्षिक मात्रा की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख बल्क लीटर वार्षिक किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(v) वर्तमान में देशी मदिरा व आर.एम.एल. पर आबकारी ड्यूटी प्रति एल.पी.एल. के आधार पर निर्धारित है। इस व्यवस्था में ई.डी.पी. में वृद्धि का प्रभाव आबकारी ड्यूटी पर नहीं पड़ता। इससे दुकानों की गारंटी में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में देशी मदिरा की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। देशी मदिरा तथा आर.एम.एल. की ई.डी.पी. के साथ आबकारी ड्यूटी को संबद्ध करने तथा देशी मदिरा की मात्रा को सीमित रखने के दृष्टिगत आबकारी ड्यूटी प्रति एल.पी.एल. के स्थान पर निर्गम मूल्य के प्रतिशत के रूप में Ad-valorem निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

(vi) इसी प्रकार आई.एम.एफ.एल./बीयर आदि की आबकारी ड्यूटी व रिटेलर मार्जिन के लिये वर्तमान में निर्धारित स्लैब्स को Rationalisation द्वारा कम करके ड्यूटी प्रणाली व रिटेलर मार्जिन का सरलीकरण किये जाने हेतु नीति में प्रावधान किये गये हैं।

(vii) राज्य में उपभोक्ताओं की मांग अनुसार गुणवत्तापूर्ण मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने में होलसेलर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी के दृष्टिगत राज्य में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड को क्रमशः देशी मदिरा व आई.एम.एफ.एल के लिये होलसेलर बनाया गया है। राज्य में वर्तमान में सभी मदिरा दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की हैं अर्थात् उनमें सभी प्रकार की मदिरा का विक्रय किया जाता है। इन दुकानों के लाईसेंसियों को देशी मदिरा के उठाव के लिये आरएसजीएसएम के डिपो तथा आई.एम.एफ.एल. के उठाव के लिये आर.एस.बी.सी.एल. के डिपो में जाना पड़ता है। मदिरा दुकानों के लाईसेंसधारियों की सुविधा तथा देशी मदिरा व आई.एम.एफ.एल के अलग– अलग डिपो संचालन पर होने वाले व्यय में बचत के साथ ही प्रक्रियाओं के सरलीकरण के दृष्टिगत राज्य में सभी प्रकार की मदिरा के लिये एक ही होलसेलर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से नीति में सिंगल होलसेलर का प्रावधान किया गया है।

(viii) वर्तमान में राज्य में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की डिस्टिलरीज के लिये एक ही प्रकार की लाईसेंस फीस की व्यवस्था है, इससे एथेनॉल उत्पादन हेतु स्थापित होने वाली डिस्टिलरीज को भी मदिरा उत्पादन करने वाले डिस्टिलरीज के समान लाईसेंस फीस का भुगतान करना पड़ रहा है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये एथेनॉल उत्पादन इकाईयों की लाईसेंस फीस को युक्तिसंगत करने की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य में एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु एथेनॉल उत्पादन इकाईयों (डिस्टिलरीज) के लिये लाईसेंस फीस को कम करने का निर्णय लिया गया है।

(ix) राज्य में स्थित एयरपोर्ट्स पर वर्तमान में बार की अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है जबकि देश के अन्य राज्यों में एयरपोर्ट्स पर बार संचालित करने के प्रावधान हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए एयरपोर्ट्स पर बार की अनुमति दिये जाने हेतु एयरपोर्ट बार का प्रावधान नीति में किया गया है।

(x) इसी प्रकार पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत होटल बार के लिये न्यूनतम कमरों की संख्या में कमी करने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी प्रावधान किये गये है।

(xi) राज्य में वर्तमान में "अनाज से एल्कोहल और बीयर के उत्पादन", "प्रासव का मापन" एवं "बीयर के उत्पादन" के मानक निर्धारित है परंतु विभिन्न प्रकार के अनाज यथा चावल, मक्का, बाजरा आदि में स्टार्च की भिन्न–भिन्न मात्रा तथा उत्पादन की विभिन्न प्रणालियों का इन मानकों में ध्यान नहीं रखे जाने से मदिरा/बीयर उत्पादकों द्वारा इनके व्यावहारिक निर्धारण की मांग निरंतर की जाती रही है। इस संदर्भ में ई.एन.ए./शोधित प्रासव उत्पादन के निर्धारित मानकों एवं ब्रुअरी इकाईयों के बीयर उत्पादन हेतु न्यूनतम Yield से संबंधित वर्तमान प्रावधानों तथा High Gravity Beer उत्पादन मानकों के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन कर इनका विस्तृत परीक्षण कराया गया है। समिति की अभिशंषा अनुसार प्रचलित नियमों में कच्चे माल से ईएनए/ शोधित प्रासव उत्पादन के निर्धारित मानकों के पुनर्निर्धारण तथा बीयर उत्पादन हेतु न्यूनतम Yield से संबंधित वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर Normal Gravity तथा High Gravity Beer उत्पादन मानकों का निर्धारण कराने संबंधी प्रावधान किये गये हैं।

(xii) इसके अतिरिक्त प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ऑटोमेशन व प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से भी नीति में प्रावधान किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः आबकारी विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसेज को ऑनलाईन तथा स्वतः स्वीकृत करने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

उपरोक्त उद्देश्यों तथा बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) **अवधि** : इस नीति की अवधि 4 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–2029 (1 अप्रेल, 2025 से 31 मार्च, 2029 तक) के लिये होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर–जनवरी माह में राजस्व प्राप्ति तथा अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत प्रावधानों की समीक्षा कर उनमें संशोधन या यथावत रखने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(2) **मदिरा की खुदरा दुकानों का बन्दोबस्त :**

2.1 राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्व अनुसार 7665 यथावत रखी जाएगी। ये सभी दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होंगी, जिनमें सभी प्रकार की मदिरा यथा देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), BIO, BII, हेरिटेज मदिरा, बीयर, वाईन आदि की आपूर्ति एवं विक्रय अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, मॉडल शॉप, ब्राण्ड शॉप, फक्ट्री आउटलेट, एयरपोर्ट शॉप, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य बेवरेजेज

निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों का आवंटन किया जायेगा।

2.2 बंदोबस्त की प्रक्रिया :

2.2.1 वित्तीय वर्ष 2025–26 के बंदोबस्त हेतु जिले की समस्त मदिरा दुकानों को समूहों (Clusters) में विभाजित किया जायेगा। मदिरा दुकानों के समूहों का गठन संस्पर्शी (Contiguous) क्षेत्र की न्यूनतम एक से अधिकतम पांच दुकानों को सम्मिलित कर किया जाएगा।

2.2.2 मदिरा दुकानों के समूहों के बंदोबस्त हेतु सर्वप्रथम वर्ष 2024–25 के मदिरा दुकानों के पात्र अनुज्ञाधारियों को निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2025–26 के लिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा।

2.2.3 नवीनीकरण के लिए मदिरा दुकान की वर्ष 2024–25 की वार्षिक गारंटी राशि को 10 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2025–26 के लिये वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। दुकान के एक वर्ष से कम अवधि के लिये वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित होने की स्थिति में वर्तमान वार्षिक गारंटी राशि की पूरे वर्ष के लिये गणना कर उसमें आगामी वर्ष हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

2.2.4 वर्ष 2024–25 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिन्होने जनवरी, 2025 तक की निर्धारित गारंटी पूर्ति कर ली हो तथा अन्य कोई देयता शेष नहीं हो, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये अपने अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण कराने के लिये आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

2.2.5 अधिक से अधिक अनुज्ञाधारी नवीनीकरण के लिये पात्र हो सकें इसके लिये वर्ष 2024–25 की जनवरी, 2025 तक की गारण्टी की बकाया राशि व उस पर देय 50 प्रतिशत जुर्माना राशि की मदिरा उठाव अनुज्ञाधारी द्वारा दिनांक 10.02.2025 तक पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है।

2.2.6 संबंधित जिले में कुल मदिरा दुकानों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत दुकानों तथा दुकानों के समूह में सम्मिलित सभी अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करने पर ही उनके अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2025–26 हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा तथा शेष दुकानों का समूहवार आवंटन ई–नीलामी/ई–निविदा द्वारा किया जाएगा।

2.2.7 संबंधित जिले में स्थित मदिरा दुकानों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में नवीनीकरण आवेदन पत्रों को अस्वीकार करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानों का समूहवार बंदोबस्त ई–नीलामी/ई–निविदा द्वारा किया जाएगा।

2.2.8 एक समूह में सम्मिलित एक या अधिक अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन करने तथा अन्य अनुज्ञाधारी या अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु इच्छुक नहीं होने या पात्र नहीं होने की स्थिति में नवीनीकरण के लिए इच्छुक अनुज्ञाधारी को समूह में सम्मिलित अन्य दुकान या दुकानों का निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि पर नवीनीकरण कराने का अवसर दिया जाएगा। उसी समूह में सम्मिलित एक से अधिक अनुज्ञाधारी के अन्य दुकान का नवीनीकरण कराने का इच्छुक होने पर सीमित बिड/नीलामी द्वारा अनुज्ञाधारी का चयन किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद भी समूह में सम्मिलित सभी दुकानों का नवीनीकरण द्वारा आवंटन नहीं होने पर उस समूह में सम्मिलित दुकानों

29.1

के अनुज्ञाधारियों से नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाकर समूह का ऑनलाईन नीलामी/बिड द्वारा आवंटन किया जाएगा।

2.2.9 नवीनीकरण अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा कराये गये नवीनीकरण शुल्क का रिफण्ड/समायोजन किया जा सकेगा।

2.2.10 नवीनीकरण द्वारा आवंटित दुकानों में से किसी दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में मदिरा दुकानों के उस समूह में सम्मिलित अन्य दुकानों के अनुज्ञाधारियों को प्रचलित गारण्टी पर आवंटित किया जायेगा। एक से अधिक अनुज्ञाधारी के द्वारा आवंटन के लिये इच्छुक होने पर उनके मध्य सीमित बिड/नीलामी द्वारा उसका पुनः आवंटन किया जाएगा। उस समूह के अनुज्ञाधारियों द्वारा आवंटन हेतु इच्छुक नहीं होने पर अन्य अनुज्ञाधारियों को बिड/नीलामी द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। अन्य अनुज्ञाधारियों के भी इच्छुक नहीं होने पर खुली निलामी/बिड द्वारा आवंटन किया जायेगा।

2.2.11 नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु विवेकीकरण की प्रक्रिया द्वारा सभी दुकानों के बंदोबस्त की स्थिति, निर्धारित क्षेत्र व गारंटी राशि, मदिरा के उठाव की स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा कर शेष दुकानों के समूह का निर्माण, समूह का क्षेत्र निर्धारण तथा समूह के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इस पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई क्षेत्र uncovered नहीं रहे तथा राजस्व प्राप्तियों में कमी नहीं हो।

2.2.12 विवेकीकरण की प्रक्रिया में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र की कुल गारंटी राशि को यथावत रखते हुए वर्तमान दुकानों की संख्या के 5 प्रतिशत तक दुकानों को अपने जिले या अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा समीक्षा कर दुकानों का पुनः वितरण किया जा सकेगा।

2.3 न्यूनतम रिजर्व प्राईस :

2.3.1 मदिरा दुकानों के समूह के लिए रिजर्व प्राईस के निर्धारण हेतु समूह में सम्मिलित सभी दुकानों की वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इन समूहों (Clusters) में आने वाली प्रत्येक मदिरा दुकान की वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस का योग उस मदिरा समूह (Cluster) की न्यूनतम रिजर्व प्राईस होगी।

2.3.2 समूह में सम्मिलित किसी दुकान के वर्ष 2024–25 में पूर्ण वर्ष से कम अवधि के लिए संचालित होने की स्थिति में संचालन अवधि की वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर पूरे वर्ष के लिये वार्षिक गारंटी राशि की गणना कर उसमें 10 प्रतिशत वृद्धि करके न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित की जाएगी।

2.3.3 प्रत्येक जिले में अवस्थित सभी समूहों के लिये बिन्दु संख्या 2.3.1 व 2.3.2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की कुल राशि को यथावत रखते हुए संबंधित जिले में अवस्थित समूहों में विवेकीकरण के माध्यम से न्यूनतम रिजर्व प्राईस का पुनः वितरण किया जा सकेगा।

2.3.4 किसी नवगठित या वर्ष 2024–25 की पूर्ण अवधि में पड़त रही दुकान या समूह के प्रथम बार बंदोबस्त या पुनः बंदोबस्त की स्थिति में न्यूनतम रिजर्व प्राईस, संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या, गत वर्षो में मदिरा के उठाव, अन्य समूहों की न्यूनतम रिजर्व प्राईस/गारंटी राशि, वर्ष में दुकान के संचालन हेतु उपलब्ध

शेष अवधि आदि के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा युक्तिकरण कर निर्धारण किया जाएगा।

2.3.5 एक वर्ष से कम अवधि के लिये दुकान/समूह के आवंटन की स्थिति में न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण शेष अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

2.3.6 न्यूनतम रिजर्व प्राईस की कुल राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की आबकारी ड्यूटी की राशि का पृथक से उल्लेख किया जाएगा।

2.4 नीलामी/निविदा की प्रक्रियाः

2.4.1 मदिरा दुकानों के समूहों का समूहवार निर्धारित रिजर्व प्राईस पर ई–नीलामी/ई–निविदा की प्रक्रिया द्वारा आवंटन किया जाएगा।

2.4.2 मदिरा दुकानों के समूह की ई–नीलामी/ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम बोली, जिस पर आवेदक द्वारा वांछित राशियां जमा कराये जाने के बाद अनुज्ञापत्र जारी कर दिया गया है, उस समूह की **वार्षिक गारंटी राशि** के रूप में निर्धारित की जाएगी।

2.4.3 वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी समूह (Cluster) का अनुज्ञापत्र निरस्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिये उस समूह का बंदोबस्त ई–नीलामी/ई–निविदा द्वारा किया जायेगा।

2.5 एक व्यक्ति एक जिले में दो समूहों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच समूहों से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।

2.6 आवेदन शुल्क :

2.6.1 ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड प्रक्रिया में भाग लेने तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राईस के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः–

श्रेणी	आवेदन शुल्क (राशि रुपये)
2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस	50,000
2 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस	1,00,000

2.6.2 आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान तथा समूहवार आवंटन की स्थिति में प्रत्येक समूह के लिये पृथक–पृथक देय होगा, जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) रहेगा।

2.7 अमानत राशि (Earnest Money) :

2.7.1 ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। नीलामी के दौरान बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि भी जमा करानी होगी। इस प्रकार Dynamic अमानत राशि का प्रावधान नीलामी की प्रक्रिया में किया जायेगा।

2.7.2 अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि संबंधित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

2.8 नवीनीकरण की प्रक्रिया :

2.8.1 वर्ष 2025–26 के लिये उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के विकल्प के साथ ही वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के पात्र अनुज्ञाधारियों को क्रमशः वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा।

2.8.2 नवीनीकरण के लिये वे अनुज्ञाधारी ही पात्र होंगे जिन्होनें अपनी निर्धारित गारंटी राशि की पूर्ति कर ली हो तथा जिनके विरूद्ध कोई बकाया नहीं हो।

2.8.3 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वार्षिक गारंटी राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात् वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये नवीनीकरण हेतु क्रमशः वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 की वार्षिक गारंटी राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा।

2.8.4 वार्षिक गारंटी राशि में बिन्दू संख्या 2.8.3 में दी गई 10 प्रतिशत वार्षिक की इस सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त नीति के प्रावधानों की समीक्षा में ड्यूटी, फीस आदि में संशोधन तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर अतिरिक्त वृद्धि भी की जा सकेगी।

2.8.5 नवीनीकरण की प्रक्रिया में इच्छुक अनुज्ञाधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के जनवरी माह में आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण फीस के साथ आवेदन करना होगा। नवीनीकरण फीस की राशि बिन्दु संख्या 2.6.1 में निर्धारित आवेदन फीस के अनुसार होगी।

2.8.6 जिन अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन मय फीस जमा करा दी हो, उनके द्वारा नवीनीकरण वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि तथा वार्षिक लाईसेंस फीस की राशि व धरोहर राशि की अंतर राशि जमा कराई जाएगी।

2.8.7 अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण फीस के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के बाद अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि तथा वार्षिक लाईसेंस फीस व धरोहर राशि की अंतर राशि जमा नहीं कराने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर नवीनीकरण फीस व जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

2.8.8 नवीनीकरण के लिये निर्धारित तिथियों में आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

2.9 नवीनीकरण द्वारा जिन समूहों का बंदोबस्त नहीं हो पाता, उनका बंदोबस्त ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

2.10 अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पड़त समूहों का आवंटन तत्समय प्रचलित गारंटी राशि पर अन्य अनुज्ञाधारियों को भी किया जा सकेगा। किसी पड़त समूह के संचालन के लिए एक से अधिक अनुज्ञाधारियों के इच्छुक होने पर सीमित बिड/निलामी द्वारा अनुज्ञाधारी का चयन कर आवंटन किया जाएगा।

2.11 मदिरा दुकानों/समूह के अनुज्ञापत्रों में नाम जोड़ने हेतु वर्तमान में निर्धारित फीस राशि रूपये 25 हजार को बढ़ाकर 50 हजार किया जाता है।

2.12 दुकानों एवं गोदाम की अवस्थितिः—

2.12.1 समस्त दुकानों तथा गोदामों के लोकेशन राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिबंधित दूरी की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुज्ञाधारी के Self Disclamer पर ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जिओ टैग के कॉर्डिनेट डाटा को ऑनलाईन फीड करके आस—पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनबाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी।

2.12.2 दुकान/गोदाम की लोकेशन स्वतः स्वीकृति पश्चात् संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी, जिसमें अनुज्ञाधारी द्वारा गलत सूचना के आधार पर लोकेशन स्वीकृत कराया जाना पाये जाने पर स्वीकृति को तुरंत निरस्त किया जाएगा। नये स्थान पर लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा 1.00 लाख रूपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे।

2.12.3 मदिरा भण्डारण के लिये राशि रूपये 2.00 लाख वार्षिक फीस जमा कराने पर दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति दी जा सकेगी। राशि रूपये 5.00 लाख की वार्षिक फीस पर 1 अतिरिक्त गोदाम भी स्वीकृत कराया जा सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार दुकान के निर्धारित क्षेत्र में गोदाम अनुमत किया जा सकेगा, परन्तु दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस की अन्य दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्र के दुकान का गोदाम उनके पड़ोस की दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

29.1

2.13 वार्षिक गारण्टी राशि :—

2.13.1 ऑनलाईन नीलामी/ई—बिड या नवीनीकरण की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दुकान/समूह के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** का निर्धारण किया जायेगा।

2.13.2 निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पेटे देशी मदिरा (RML सहित), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, हेरिटेज मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी तथा BIO की होलसेल फीस का भराव दिया जायेगा।

2.13.3 निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** 12 महीनों या शेष महीनों (एक वर्ष से कम अवधि के लिये स्वीकृति की स्थिति में) में बराबर—बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार प्रतिमाह मदिरा का उठाव करना होगा।

2.13.4 **वार्षिक गारण्टी राशि** में देशी मदिरा (RML सहित) की आबकारी ड्यूटी का अनुपात नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा। अर्थात् नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस की कुल राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की राशि का जो अनुपात है, वही अनुपात निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा (RML सहित) की गारंटी राशि का रहेगा।

2.13.5 वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की गारंटी राशि के अतिरिक्त शेष गारंटी राशि के पेटे किसी भी प्रकार की मदिरा (देशी मदिरा, RML, IMFL, BIO, BII, RTD, हेरिटेज मदिरा आदि), वाईन, बीयर आदि का उठाव अनुमत होगा।

2.13.6 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि पेटे यदि कोई अनुज्ञाधारी अन्य प्रकार की मदिरा यथा आई.एम.एफ.एल, बीयर आदि का उठाव करना चाहता है तो उसे गारंटी राशि के साथ 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये परिगणित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि नकद जमा करानी होगी। अर्थात् देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि पेटे अनुज्ञाधारी यदि आई.एम.एफ.एल, बीयर आदि का उठाव करता है तो उसे देशी मदिरा की गारंटी राशि के साथ इस राशि पेटे उठाई जा सकने वाली 50 यूपी देशी मदिरा (पेट पात्र) के लिये निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की राशि नकद जमा करानी होगी।

2.13.7 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित मदिरा का उठाव अनुमत होगा। इस राशि की गणना शेष राशि पेटे 50 यू.पी. देशी मदिरा (पेट पात्र) की मात्रा के आधार पर की जाएगी।

2.13.8 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के स्थान पर देशी मदिरा का उठाव अनुमत होगा।

2.13.9 उपर्युक्त बिन्दु संख्या 2.13.6 के अनुसार यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा के स्थान पर अन्य मदिरा अर्थात् आई.एम.एफ.एल, बीयर आदि का उठाव करता है तो उस माह में बिन्दु संख्या 2.13.7 व 2.13.8 अनुसार आर.एस.जी.एस.एम. मदिरा व आर.एम.एल. के उठाव के लिये देशी मदिरा की गारंटी की शेष राशि के आधार पर ही गणना की जाएगी। अर्थात् अनुज्ञाधारी द्वारा जितनी गारंटी राशि पेटे अन्य मदिरा का उठाव किया गया है उस राशि को कम करके देशी मदिरा की गारंटी की शेष राशि में से 25 प्रतिशत आर.एस.जी.एस.एम. मदिरा तथा 25 प्रतिशत आर. एम.एल. का उठाव करना होगा।

2.13.10 देशी मदिरा में कम तेजी की 50 यू.पी. व 60 यू.पी. मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने के संबंध में मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा। यदि कम तेजी की मदिरा की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो राज्य सरकार द्वारा इसके उठाव हेतु न्यूनतम मात्रा निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

2.13.11 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि से अधिक उठाव करने पर उसका समायोजन आगामी माह या माहों में मासिक गारंटी राशि पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।

2.13.12 किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत तक बकाया रहने की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा अगले माह की 20 तारीख तक बकाया राशि की 150 प्रतिशत राशि के विरूद्ध मदिरा उठाव या नकद जमा द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकेगी। किसी भी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत से ज्यादा बकाया नहीं रहनी चाहिये, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.13.13 **मासिक गारंटी राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था–**मासिक गारंटी राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी को अपने कोटे के अंश विशेष को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जायेगा, परन्तु मासिक गारंटी राशि में कोई बदलाव किया नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु उसी जिले में स्थानान्तरण पर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा अन्य जिले के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरण पर 20 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा। समूह में सम्मलित दुकानों द्वारा आपस में गारण्टी हस्तान्तरण के लिए ट्रांसफर फीस नहीं ली जायेगी।

उक्त स्थानान्तरण कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी की **वार्षिक गारण्टी राशि** के 20 प्रतिशत तथा समूह में हस्तान्तरण पर 50 प्रतिशत की मात्रा तक ही अनुमत होगी। स्थानांतरण कोटे की मात्रा लेने वाले अनुज्ञाधारी के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। आगामी वर्ष में **वार्षिक गारण्टी** राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

2.14 अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि :

2.14.1 अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की 5 प्रतिशत राशि अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में जमा कराना होगा।

2.14.2 नवीनीकरण व ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड द्वारा बंदोबस्त की स्थिति में यह राशि निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी। इसके लिये तिथि का निर्धारण नवीनीकरण व नीलामी/ ई–बिड की शर्तों में किया जायेगा।

2.14.3 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 हेतु जमा कराई गई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का क्रमशः वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 व 2028–29 की अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के पेटे समायोजन कराया जा सकेगा।

2.14.4 इस 5 प्रतिशत अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** का माह जनवरी से माह मार्च में निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी पेटे समायोजन कराया जा सकेगा।

2.15 वार्षिक लाईसेंस फीस :

2.15.1 मदिरा की दुकानों (मॉडल शॉप, ब्राण्ड शॉप सहित)/समूह के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में ली जायेगी।

2.15.2 यह राशि दो समान किश्तों में – 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारंभ करने की तिथि से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 सितम्बर तक राजकोष में जमा करानी होगी।

2.15.3 वार्षिक लाईसेंस फीस की जमा कराई गई राशि के विरूद्ध अनुज्ञाधारी (मॉडल शॉप, ब्राण्ड शॉप को छोड़कर) द्वारा देशी मदिरा का भराव लिया जा सकेगा अर्थात् इसके विरूद्ध देशी मदिरा के उठाव की अनुमति होगी।

2.15.4 यह भराव अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक गारंटी पूर्ति की शर्त पर माह अक्टूबर से मार्च तक दिया जाएगा तथा इसकी गणना गारंटी पूर्ति पेटे नहीं की जाएगी।

2.16 बेसिक लाईसेंस फीस :

2.16.1 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा के लिये आबकारी शुल्क के साथ बेसिक लाईसेंस फीस भी जमा कराई जायेगी।

2.17 धरोहर राशि :

2.17.1 अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी।

2.17.2 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 हेतु जमा कराई गई धरोहर राशि का क्रमशः वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 व 2028–29 की धरोहर राशि के पेटे समायोजित कराकर अन्तर राशि जमा करानी होगी।

2.17.3 नीलामी/बिड द्वारा बंदोबस्त की स्थिति में धरोहर राशि नीलामी/बिड की शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी।

2.18 मॉडल शॉप :

2.18.1 राज्य में जयपुर तथा अन्य शहरों में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित आदि की सुविधायुक्त मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी।

2.18.2 इन मॉडल शॉप द्वारा प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा। इस सम्बन्ध में प्रीमियम श्रेणी का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

2.18.3 मॉडल शॉप का आवंटन **वार्षिक गारन्टी राशि** के आधार पर किया जायेगा तथा ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड द्वारा कम्पोजिट दुकानों के लिये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आबकारी विभाग द्वारा किया जाएगा।

2.18.4 यह दुकानें शहरी क्षेत्रों में ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिन्हित स्थानों में खोली जा सकेंगी। इनकी न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्टआबू तथा आबू रोड़ के लिये राशि रुपये 1 करोड़ प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रूपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित की जाती है। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन फीस राशि रूपये 50,000/– निर्धारित की जाती है।

2.18.5 मॉडल शॉप को किसी भी Excise Bond से BIO का क्रय अनुमत होगा।

2.18.6 वर्तमान में आरएसबीसीएल के माध्यम से आवंटित मॉडल शॉप का अनुबंध अवधि के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों पर संचालन अनुमत होगा।

2.18.7 दुकान के भीतर वॉक–इन सुविधा मॉडल शॉप में अनुमत रहेगी तथा यदि अन्य रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारी दुकान के भीतर वॉक–इन सुविधा चाहता है तो वह 10 लाख रुपये वार्षिक फीस जमा कराकर इसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।

2.19 ब्राण्ड शॉपः

2.19.1 BIO मदिरा के निर्माताओं को स्वयं या अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से अपने ब्राण्ड की मदिरा, वाईन आदि के विक्रय हेतु ब्राण्ड शॉप खोलने की अनुमति होगी।

2.19.2 यह दुकानें शहरी क्षेत्रों में ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिन्हित स्थानों में खोली जा सकेंगी तथा इनके लिये राशि रुपये 5 करोड़ वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

2.20 एयरपोर्ट शॉप :

2.20.1 एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग अनुसार राज्य के सभी एयरपोर्ट्स पर वार्षिक लाईसेंस फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिये लाईसेंस जारी किये जायेंगे। इन दुकानों पर मॉडल शॉप के अनुरूप प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा।

2.20.2 एयरपोर्ट शॉप का आवंटन एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अभिशंषा अनुसार जयपुर एयरपोर्ट के लिये 20.00 लाख रुपये व अन्य शहरों के लिये 10.00 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर किया जायेगा।

2.20.3 इन दुकानों के संचालन समय (खुलने एवं बंद होने) के संबंध में एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

2.21 BIO Bond :

2.21.1 RSBCL द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चाइजी के रूप में राज्य में BIO Bond की स्थापना अनुमत होगी।

2.21.2 BIO Bond की स्थापना पर राजस्थान आबकारी नियम 68(13) के अन्तर्गत होलसेल वेन्ड फीस जमा कराई जायेगी, राजस्थान आबकारी नियम 68 (13 सी) के अनुसार लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी। राज्य में स्थापित BIO Bond के माध्यम से आपूर्ति करने के स्थान पर राज्य में सीधे BIO की आपूर्ति किये जाने पर पूर्वानुसार प्रावधान लागू रहेंगे।

2.21.3 RSBCL द्वारा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से स्थापित BIO Bond के लिये होलसेल वेंड फीस का भुगतान RSBCL द्वारा किया जायेगा तथा फ्रेन्चाइजी से फ्रेन्चाइजी फीस RSBCL द्वारा ली जायेगी। फ्रेन्चाइजी फीस का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा।

2.21.4 निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चाईजी BIO Bond की स्थापना की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें आदि RSBCL द्वारा निर्धारित की जायेगी।

2.21.5 नियमानुसार आबकारी विभाग का लाईसेंस RSBCL के लिये लेना अनिवार्य होगा।

2.22 राजस्थान पर्यटन विकास निगम को रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति वार्षिक लाईसेंस फीस के आधार पर दी जायेगी। इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा। इन दुकानों से मदिरा उठाव के समय आबकारी ड्यूटी की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में जमा कराई जाएगी। मदिरा दुकानों के सफल बंदोबस्त हेतु राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड को भी मदिरा दुकानों का आवंटन आर.टी.डी.सी. के अनुरूप वार्षिक लाईसेंस फीस के आधार पर किया जा सकेगा।

(3) देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) :

3.1 राज्य में **केवल ENA से निर्मित 40, 50, 60 यू.पी. की देशी मदिरा तथा 25 यू.पी. ''राजस्थान निर्मित मदिरा'' (RML) का उत्पादन एवं विक्रय किया जाना अनुमत होगा।** राजस्थान निर्मित मदिरा हेतु विशिष्ट उल्लेख के अलावा अन्य प्रावधान देशी मदिरा के लागू होंगे।

3.2 देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की आपूर्ति सभी धारिताओं में पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक में अनुमत होगी।

3.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से भी देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) भराई करवा सकेगा।

3.4 **देशी मदिरा का आयातः**—राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

3.5 देशी मदिरा/आरएमएल के निर्माण हेतु मदिरा निर्माण इकाईयों द्वारा अपनी मांग अनुसार ग्रेन निर्मित या मोलासिस निर्मित ई.एन.ए. राज्य के बाहर से आयात किया जा सकेगा अर्थात् देशी मदिरा निर्माण हेतु ग्रेन निर्मित या मोलासिस निर्मित ई.एन.ए. का कोई कोटा निर्धारित नहीं होगा।

3.6 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक की गुणवत्ता के संबंध में जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

3.7 **देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का थोक निर्गम मूल्य, बोटलिंग फीस व होलसेलर मार्जिन :**

3.7.1 वर्ष 2024—25 हेतु 40 यू.पी, 50 यू.पी, 60 यू.पी. ई.एन.ए (Extra Neutral Alcohol) आधारित देशी मदिरा एवं 25 यू.पी. आरएमएल के पेट के पव्वों के एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 560/—, 518/—, 370/— एवं 650/— तथा 40 यू. पी. देशी मदिरा व 25 यू.पी. आरएमएल के ग्लास के पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः 620/— व 730/— रूपये निर्धारित है। इसी प्रकार 40 यू.पी, 50 यू.पी, 60 यू.पी. देशी मदिरा व 25 यू.पी. आरएमएल के एसेप्टिक पैक के पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 595/—, 520/—, 370/— एवं 710/— निर्धारित है।

3.7.2 वर्ष 2025—26 के लिये देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा पव्वों के प्रति कार्टन निर्गम मूल्य में होलोग्राम चार्जेज की राशि सम्मिलित करते हुए उस पर 4 प्रतिशत की वृद्धि कर इसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः—

क्र. सं	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक पैक
देशी मदिरा				
1.	40 यू.पी.	662	600	635
2.	50 यू.पी.	—	556	558
3.	60 यू.पी.	—	402	402
राजस्थान निर्मित मदिरा				
1.	25 यू.पी.	777	693	756

3.7.3 थोक निर्गम मूल्य में देशी मदिरा (RML के अलावा) के थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है जो वर्तमान में अधिकतम 9 प्रतिशत निर्धारित है।

3.7.4 देशी मदिरा व आरएमएल के थोक निर्गम मूल्य में होलोग्राम चार्जेज की राशि भी सम्मिलित होगी।

3.7.5 अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में ई.एन.ए. लाने पर वर्तमान में 7 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से फीस निर्धारित है। ई.एन.ए. की दरों में हुई वृद्धि तथा राज्य में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा की खुदरा विक्रय दरों को नियंत्रित रखने के दृष्टिगत देशी मदिरा निर्माण इकाईयों (बोटलिंग प्लांट विद रिडक्शन सेंटर) को प्रतिवर्ष प्रति इकाई 3 लाख बल्क लीटर तक ई.एन.ए. अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में लाने के लिये Bringing into fees एक रूपये प्रति बल्क लीटर की रियायती दर निर्धारित है, इस मात्रा को बढ़ाकर 6.00 लाख बल्क लीटर प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.7.6 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही बोतल के कार्टन तथा 5 यूपी (केके) के निर्गम मूल्य व एमआरपी/एमएसपी का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है।

3.7.7 पूर्व वर्षों के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से "स्ट्रोंग मदिरा" अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.8 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं बेसिक लाईसेंस फीसः

3.8.1 देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी ड्यूटी तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी ड्यूटी (थोक निर्गम मूल्य का प्रतिशत)	बेसिक बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	60 यू.पी. देशी मदिरा	115	46
2	50 यू.पी. देशी मदिरा	151	46
3	40 यू.पी. देशी मदिरा	165	46
4	5 यू.पी. देशी मदिरा (के.के.)	50	46
5	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	185	80

3.8.2 राजस्थान निर्मित मदिरा पर 100 प्रतिशत तथा देशी मदिरा पर 20 प्रतिशत आबकारी ड्यूटी निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा राजकोष में अग्रिम भुगतान करना होगा एवं रिटेलर्स से वसूली उपरान्त निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को पुनर्भरण RSGSM/RSBCL द्वारा किया जायेगा।

3.8.3 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं देशी मदिरा हेतु न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य भी तय किये जाने का प्रावधान है। इस अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ–साथ न्यूनतम विक्रय मूल्य में भी खुदरा विक्रेता का मार्जिन शामिल रहता है। उक्त दोनों मूल्यों को लेबल पर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जावेगा। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक व न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम पर बेचान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।

3.8.4 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के पव्वों का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	180 एमएल निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)	180 एमएल निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि. रूपयों में)
1.	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	57	68
2.	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	52	63
3.	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पेक	55	66
4.	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	47	56
5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	78	93
6.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	71	85
7.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	76	91

3.8.5 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के परमिट फीस की दर को रिटेलर्स के लिये 1 रूपया प्रति बल्क लीटर तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिये 1000 रूपये प्रति परमिट यथावत रखा जाता है।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Beer/Wine/RTD :

4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा के वर्तमान में 9 स्लैब तथा BII के 4 स्लैब को समाप्त कर आईएमएफएल व BII के लिये निम्नानुसार आबकारी ड्यूटी निर्धारित की जाती है:—

(a) IMFL/BII Duty Slab:

एक्स डिस्टिलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क
1000 तक	310/—रूपये प्रति एलपीएल + ईडीपी का 75%
1000 से अधिक	370/—रूपये प्रति एलपीएल+ ईडीपी का 75%

(b) रिटेलर मार्जिन :—

आई.एम.एफ.एल, BII, RTD के लिये रिटेलर मार्जिन आर.एस.बी.सी.एल. सेल प्राईस (ईडीपी+आबकारी ड्यूटी+ आर.एस.बी.सी.एल. मार्जिन) पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

एक्स डिस्टिलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	रिटेलर मार्जिन (आरएसबीसीएल सेल प्राईस का प्रतिशत)
8000 तक	27
8000 से अधिक	20

(c) BIO Duty Slab व रिटेलर मार्जिन:

बेसिक प्राईस (रुपये में)	लाईसेंस फीस (Basic Price + Import Fee) का प्रतिशत	रिटेलर मार्जिन (बेसिक प्राईस का प्रतिशत)
3100 तक	75	54
3100 से अधिक 6000 तक	70 (न्यूनतम रूपये 2325)	52
6000 से अधिक 8000 तक	55 (न्यूनतम रूपये 4200)	47
8000 से अधिक 50000 तक	45 (न्यूनतम रूपये 4400)	47
50000 से अधिक	40 (न्यूनतम रूपये 22500)	47
वाईन	40	उपरोक्त स्लैब अनुसार

(d) Beer Duty Slab:

श्रेणी	आबकारी शुल्क (ईबीपी का प्रतिशत)	रिटेलर मार्जिन (आरएसबीसीएल सेल प्राईस का प्रतिशत)
स्ट्रॉंग बीयर (5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रेन्थ)	200	27
माईल्ड बीयर (5 प्रतिशत तक स्ट्रेन्थ)	185	30

(e) वाईन :

भारत में निर्मित वाईन पर एक्स वाईनरी प्राईस का 40 प्रतिशत तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर 4 प्रतिशत ad-valorum आबकारी शुल्क तथा आरएसबीसीएल सेल प्राईस का 26 प्रतिशत रिटेलर मार्जिन निर्धारित किया जाता है।

(f) RTD:

Ready to Drink (RTD) पर आबकारी ड्यूटी व रिटेलर मार्जिन आई.एम.एफ.एल ड्यूटी स्लैब बिन्दु संख्या 4.1(a) व (b) के अनुसार होगा।

(g) हेरिटेज मदिरा:

हेरिटेज मदिरा पर आबकारी ड्यूटी 311/–रूपये प्रति एल.पी.एल.+ ईडीपी का 12% तथा रिटेलर मार्जिन आरएसबीसीएल सेल प्राईस का 26 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

4.2 **अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी:**

अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर IMFL, BII, BIO, Wine, RTD, BEER व हेरिटेज मदिरा का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु आगामी 5 के गुणक में राउण्ड ऑफ करने से प्राप्त होने वाली राशि अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के रूप में राजकोष में जमा कराई जाएगी।

4.3 IMFL, BII, BIO, Wine, BEER व RTD ग्लास, कैन, फूडग्रेड पेट, एसेप्टिक पैक एवं मैटल पैकिंग में उत्पादन एवं विक्रय अनुमत होगा।

4.4 **भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/RTD/Beer/Wine की ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपीः**

4.4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Wine/RTD/Beer की ईडीपी/ईबीपी/ ईडब्ल्यूपी निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएंगी, जिन्हें स्वतः स्वीकृत करने की व्यवस्था रहेगी।

4.4.2 राज्य में एक बार स्वीकृत ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में एक वर्ष में अधिकतम 5 प्रतिशत तक की कमी/वृद्धि अनुमत होगी तथा स्वीकृत राशि में 6 माह तक परिवर्तन किया जाना अनुमत नहीं होगा।

4.4.3 वर्तमान में होलोग्राम चार्जेज की राशि अलग से चार्ज की जाती है। इस व्यवस्था को समाप्त कर होलोग्राम की राशि ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में सम्मिलित करते हुए ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी का निर्धारण किया जाएगा। इसलिए वर्ष 2025–26 के लिये ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी के निर्धारण हेतु वर्ष 2024–25 में स्वीकृत ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में होलोग्राम चार्जेज की राशि जोड़कर प्राप्त राशि में 5 प्रतिशत तक की कमी/वृद्धि किये जाने की अनुमति होगी।

4.4.4 राजस्व हित, एकाधिकारिक प्रवृत्ति या कार्टेल को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी पर नियंत्रण लागू किया जा सकेगा।

4.5 **बोटलिंग अनुज्ञापन फीस –**

4.5.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर बोटलिंग फीस 4 रूपये प्रति बल्क लीटर व Beer पर 3 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा देशी मदिरा व आर.एम.एल. पर 5 रूपये प्रति बल्क लीटर पूर्वानुसार यथावत निर्धारित की जाती है।

4.5.2 बीयर निर्माण इकाईयों को विगत वर्ष के वार्षिक उत्पादन से अधिक उत्पादित तथा राजस्थान में विक्रय के लिए आर.एस.बी.सी.एल. को आपूर्ति की गई बीयर की अतिरिक्त मात्रा पर बोटलिंग फीस में निम्नानुसार छूट दी जाएगीः–

क्र.सं.	**उपरोक्तानुसार आरएसबीसीएल को आपूर्ति की गई बीयर की अतिरिक्त मात्रा**	**बोटलिंग फीस में छूट (प्रति बल्क लीटर)**
1.	115 प्रतिशत तक	शून्य
2.	115 प्रतिशत से अधिक तथा 125 प्रतिशत तक की मात्रा	1 रूपया
3.	125 प्रतिशत से अधिक मात्रा	2 रूपये

स्पष्टीकरणः– उपर्युक्त प्रावधान अनुसार वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 तथा 2028–29 में बोटलिंग फीस में छूट के लिए विगत वर्ष का आशय क्रमशः वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 तथा 2027–28 होगा।

उदाहरण के लिए – किसी बीयर निर्माता फर्म द्वारा वर्ष 2025–26 में गत वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2024–25 में उत्पादित मात्रा से 130 प्रतिशत बीयर उत्पादित कर आरएसबीसीएल को राज्य में बिक्री हेतु आपूर्ति की जाती है तो उस फर्म को 115 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की गई बीयर की मात्रा पर 1 रूपया प्रति बल्क लीटर तथा 125 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक अधिक आपूर्ति की गई मात्रा पर 2 रूपये प्रति बल्क लीटर की छूट देय हागी।

4.5.3 वर्तमान में राज्य से बाहर निर्यात की स्थिति में आईएमएफएल एवं बीयर पर दी जा रही क्रमशः 75 प्रतिशत व 50 प्रतिशत की छूट को समाप्त किया जाता है।

4.6 **माईक्रो ब्रुवरी**—राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार अनुज्ञाधारियों को माईक्रो ब्रुवरी स्थापना एवं संचालन की अनुमति होगी। इसकी वार्षिक लाईसेंस फीस 5 लाख रुपये एवं आबकारी ड्यूटी 40 रुपये प्रति बल्क लीटर दैनिक उत्पादन क्षमता पर निर्धारित की जाती है।

4.7 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) के निर्माण हेतु मांग अनुसार मोलासिस आधारित या ग्रेन आधारित ई.एन.ए. अन्य राज्यों से आयात किया जा सकेगा।

4.8 जिन बीयर आपूर्तिकर्ताओं का विगत वर्ष में राज्य की कुल बीयर विक्रय में 10 प्रतिशत से कम हिस्सा रहा है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में उनकी गत वर्ष की बीयर विक्रय में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर, राज्य में विक्रय हेतु स्टॉक सुरक्षित रखते हुए इससे अधिक उत्पादित बीयर का निर्यात अनुमत होगा।

(5) निर्माण इकाईयों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :—

5.1 राज्य में निर्माण इकाईयों की वार्षिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रूपये में)
डिस्टिलरी (आर.एस. /ई.एन.ए.) (प्रतिदिन आंकड़े)	30 तक	45.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	55.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	70.00
	75 से अधिक	75.00
स्टेण्ड एलोन एथेनॉल डिस्टिलरी (प्रतिदिन आंकड़े)	30 तक	5.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	6.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	7.00
	75 से अधिक	8.00
ब्रुवरी (प्रतिवर्ष आंकड़े हजार किलो लीटर में)	30 तक	40.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	45.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	65.00
	75 से अधिक	75.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	4.00
	भा.नि.वि. मदिरा भराई	12.00
	वाइनरी भराई	0.50
हेरीटेज प्लांट	—	8.00
वाइनरी	—	1.00

5.2 फ्रन्चाईजी व्यवस्था के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर व देशी मदिरा के निर्माण व आपूर्ति हेतु वार्षिक बोण्ड अनुज्ञा फीस की 25 प्रतिशत फीस ली जायेगी।

5.3 निर्माण इकाईयों द्वारा किसी वर्ष में संचालन नहीं किये जाने के कारण लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करा पाने पर उस वर्ष या वर्षों की 10 प्रतिशत लाईसेंस फीस की राशि तथा चालू वर्ष की पूर्ण लाईसेंस फीस जमा कराकर लाईसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

5.4 राज्य में फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा फल उत्पादक कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से **माइक्रो वाईनरी** की स्थापना की अनुमति होगी।

5.5 वाईन उत्पादन के इच्छुक उद्यमियों द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की वाईनरी में अनुबंध के आधार पर अपने ब्राण्ड की वाईन का निर्माण एवं विक्रय किया जा सकेगा। इसके लिये उनकी स्वयं की वाईनरी होने संबंधी बाध्यता से मुक्त रखा जायेगा।

5.6 वाईन उत्पादन इकाईयों को अपने उत्पादन परिसर में वाईन टेस्टिंग तथा विक्रय के लिए फैक्ट्री आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। जिसके लिये राशि रूपये 1 लाख वार्षिक फीस निर्धारित की जाती है। इस आउटलेट से उस उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित ड्यूटी पेड वाईन ही विक्रय किया जाना अनुमत होगा।

5.7 जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई जल नीति के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा राजस्थान में नई डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज, बोटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु नीति निर्धारित की हुई है। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित नीति तथा आबकारी विभाग की नीति में अंतर होने के कारण उद्यमियों को आबकारी इकाईयों की स्थापना में समस्या आती है तथा राज्य में निवेश व रोजगार प्रभावित होता है। अतः राज्य में नई डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज, बोटलिंग प्लांट आदि स्थापित करने हेतु आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई नीति को प्रत्याहारित कर स्पष्ट किया जाता है कि मदिरा निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए जल की उपलब्धता के संबंध में जल संसाधन विभाग या भूजल विभाग द्वारा जारी की गई नीति की पालना संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा राज्य में मदिरा/बीयर आदि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्माण इकाईयों को स्थापित करने हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी की जाएगी।

(6) हेरिटेज मदिरा :–

6.1 हेरिटेज मदिरा के उत्पादों में विविधता लाने एवं उत्पाद को अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात की सम्भावना के दृष्टिगत RSGSM को अन्य राज्यों एवं विदेश में वितरण एवं मार्केटिंग हेतु फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने की अनुमति होगी।

6.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की हेरिटेज डिस्टिलरी में निजी उद्यमियों द्वारा अपनी हेरिटेज मदिरा का निर्माण एवं विक्रय अनुमत होगा। इसके लिये उनकी स्वयं की डिस्टिलरी होने संबंधी बाध्यता से मुक्त रखा जायेगा।

6.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल को हेरिटेज मदिरा के विक्रय हेतु ब्राण्ड शॉप संचालन की अनुमति होगी। जिसके लिये राशि रूपये 1 लाख प्रति वर्ष वार्षिक लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है। इस शॉप से आरएसजीएसएम निर्मित ड्यूटी पेड हेरिटेज मदिरा का विक्रय अनुमत होगा।

(7) रिटेल ऑन (Retail-on) होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

7.1 सरकार द्वारा जारी की गई पर्यटन नीति 2024 में 10 कमरों के होटल को भी बार लाईसेंस जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः होटल बार लाईसेंस के लिए न्यूनतम 10 कमरे होना अनिवार्य किया जाता है।

7.2 होटल बार के लिये पात्र होटल मालिक द्वारा होटल परिसर का कोई भाग रेस्टोरेंट संचालन हेतु अनुबंध पर दिये जाने या एक ही परिसर/बिल्डिंग में स्थित किसी रेस्टोरेंट के साथ होटल में ठहरने वाले अतिथियों को भोजन आदि उपलब्ध कराने का अनुबंध किये जाने की स्थिति में ऐसे रेस्टोरेंट को होटल बार का लाईसेंस दिया जा सकेगा।

7.3 देश के अन्य राज्यों के समान राज्य में स्थित एयरपोर्ट्स पर बार का लाईसेंस जारी करने का प्रावधान किया जाता है। एयरपोर्ट बार का संचालन एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के

दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा इन बार को होटल बार के अनुसार मदिरा सर्व करने की अनुमति होगी।

7.4 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेंस फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र.सं.		श्रेणी	प्रारंभिक / लाईसेंस फीस (रु. लाख में)		
1		2	3		
1.		**लक्जरी होटल / ट्रेनः**			
	(i)	पाँच सितारा होटल	16.00		
	(ii)	चार सितारा होटल	11.00		
	(iii)	तीन सितारा होटल	8.50		
	(iv)	लक्जरी ट्रेन	8.50		
	(v)	एयरपोर्ट बार	16.00		
2.		**हेरिटेज होटलः**	**10 कमरे तक**	**11 से 25 कमरे तक**	**25 से अधिक कमरे**
	(i)	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू एवं जैसलमेर के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर और कुंभलगढ किले की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित	2.00	3.50	4.00
	(ii)	अन्य संभाग / जिला मुख्यालय / भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थित	1.00	2.50	3.50
	(iii)	बिंदु संख्या 2(i) और 2(ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	0.50	1.25	1.75
3.		**अन्य होटलः**	**50 कमरे तक**	**51 से 100 कमरे तक**	**100 से अधिक कमरे**
	(i)	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं माउंट आबू के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर	8.00	10.00	15.00
	(ii)	अन्य संभाग / जिला मुख्यालयों / भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थित	5.00	7.50	9.50
	(iii)	बिंदु संख्या 3(i) और 3(ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	3.00	3.50	4.00
4.		**सिविल क्लबः**			
	(i)	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में	2.00		
	(ii)	अन्य स्थान	1.50		
		बिन्दु संख्या 4(i) और 4(ii) में उल्लेखित सिविल क्लब बार हेतु सरकारी कर्मचारी या समाचार मीडिया कर्मियों के लिये फीस 50 प्रतिशत होगी।			

5.	**कॉमर्शियल क्लबः**		
	(i)	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में	6.00
	(ii)	अन्य स्थान	4.00

स्पष्टीकरणः हेरिटेज होटल श्रेणी के कमरों की गिनती में नवनिर्मित कमरों तथा पुराने पारम्परिक कमरों की संख्या शामिल है।

7.5 सभी श्रेणी के रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक/लाईसेंस फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :—

क्र.सं.	रेस्टोरेंट की श्रेणी		प्रारंभिक/लाईसेंस फीस (रु. लाख में)
1	2		3
1.	वे रेस्टोरेंट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो—		
	(a)	जयपुर मुख्यालय	8.00
	(b)	जोधपुर मुख्यालय	7.00
	(c)	अन्य सम्भाग मुख्यालय/अन्य जिला मुख्यालय/भिवाड़ी/माउण्ट आबू के शहरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा तथा कुम्भलगढ़ किले के 10 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र।	5.00
2.	अन्य रेस्टोरेंट जो उपरोक्त (a) से (c) स्थानों में शामिल नहीं।		3.00

7.6 होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों द्वारा उनकी वार्षिक लाईसेंस फीस के 3 गुणा से अधिक राशि की आबकारी ड्यूटी की मदिरा, बीयर, वाईन आदि का उठाव करने पर उन्हें इस अतिरिक्त उठाव के पेटे आगामी वर्ष की वार्षिक लाईसेंस फीस में छूट दी जा सकेगी। वार्षिक लाईसेंस फीस में छूट की गणना हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा उसकी वार्षिक लाईसेंस फीस की 3 गुणा राशि से जितने प्रतिशत अधिक राशि आबकारी ड्यूटी के रूप में जमा कराई गई है, उतने प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी, परन्तु वार्षिक लाईसेंस फीस में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की ही छूट अनुमत होगी।

7.7 जैसलमेर, माउंट आबू, रणकपुर, जवाई, सवाई माधोपुर, कुम्भलगढ, पुष्कर इत्यादि पर्यटक स्थलों में Swiss tent जैसी अस्थायी संरचना में सीजनल/वार्षिक बार लाईसेंस जारी किए जा सकेंगे।

7.8 बार अनुज्ञापत्र धारी के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञापत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की 10 प्रतिशत अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी द्वारा नवीन अनुज्ञापत्र की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार नया अनुज्ञापत्र जारी कराया जा सकेगा।

7.9 होटल बार/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारी, जिनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं हो, को नवीनीकरण राशि जमा कराये जाने पर स्वतः नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7.10 बार के नये लाईसेंस के लिये प्रारंभिक लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर ऑनलाईन आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा Self Disclaimer के साथ किया जायेगा तथा स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था की जायेगी।

7.11 नए बार लाईसेंस की प्रारंभिक फीस का निर्धारण त्रैमासिक होगा अर्थात् वार्षिक फीस को 4 बराबर भागों में विभाजित कर त्रैमासिक फीस निर्धारित होगी तथा वित्तीय वर्ष के जिस त्रैमास में बार लाईसेंस के लिए आवेदन किया गया है, उस त्रैमास व वित्तीय वर्ष में उसके बाद के शेष त्रैमासों की प्रारंभिक फीस का भुगतान लाईसेंसधारी द्वारा किया जायेगा।

7.12 ऑकेजनल बार लाईसेंस एवं रेजीडेन्स ऑकेजनल लाईसेंस को पूर्णतः ऑनलाईन एवं ऑटोमैटेड जारी किए जायेंगे, इसके लिए कम से कम 1 दिन पहले लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा तथा एक दिन का लाईसेन्स 24 घण्टे के लिये मान्य रहेगा। ऑनलाईन लाईसेंस की प्रति आबकारी विभाग के संबंधित वृत्त स्तरीय अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी व निकटतम मदिरा दुकान समूह के अनुज्ञाधारी को इसकी जानकारी ऑनलाईन व मैसेज/ईमेल द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन लाईसेंस जारी होने के बाद संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा।

7.13 ऑकेजनल लाईसेंस की लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	लाईसेंस का प्रकार	पंजीकरण फीस वार्षिक (रूपये में)	प्रतिदिन लाईसेंस फीस (रूपये में)
1.	रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थान/ होटल बार अनुज्ञाधारी	20000	12000
2.	निजी निवास पर	–	2000

(8) भांग :–

8.1 **समूहों की संख्या –**

राज्य में भांग के खुदरा विक्रय हेतु भांग दुकानों के 30 समूह की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है। प्रत्येक भांग समूह में वित्तीय वर्ष 2024–25 में वास्तविक रूप से संचालित हो रही भांग की खुदरा दुकानों की संख्या के समान ही उस भांग समूह विशेष में सम्मिलित दुकानों की संख्या होगी। आवश्यक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

8.2 **बन्दोबस्त प्रकिया –**

8.2.1 भांग के वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के अनुज्ञाधारियों को क्रमशः वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये अपने अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा। नवीनीकरण के लिए वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 की अनुज्ञाराशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए क्रमशः वर्ष 2025–26, 2026–27, 2027–28 व 2028–29 की अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी।

8.2.2 नवीनीकरण से शेष रहे भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किया जायेगा।

8.3 **आरक्षित राशि का निर्धारण** –निविदाओं के माध्यम से भांग समूहों के बन्दोबस्त हेतु वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2025–26 के

लिये आरक्षित राशि निर्धारित की जायेगी। आगामी वर्षों में आरक्षित राशि का निर्धारण तत्समय निर्धारित शर्तों अनुसार किया जाएगा।

8.4 भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षों की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

8.5 भांग के रिटेल वेण्डर को प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट अगले माह की 15 तारीख तक संबंधित आबकारी निरीक्षक को (भांग की प्राप्ति–बिक्री एवं बैलेंस) प्रेषित करना आवश्यक होगा।

(9) विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण :–

9.1 विगत वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं परमिट संबंधित पक्षकारों को ऑनलाईन जारी करने तथा निर्धारित समयावधि में जारी न होने पर उसकी Auto escalation/स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) मानी जाने संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण का कार्य किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2025–26 में जारी रखते हुए शेष सभी प्रकार के लाईसेंस, परमिट आदि की Auto escalation/स्वतः स्वीकृति की व्यवस्था तथा Post facto जाँच का प्रावधान किया जाएगा।

9.2 राज्य में सभी प्रकार की मदिरा/बीयर आदि की आपूर्ति हेतु आरएसबीसीएल को सिंगल होलसेलर नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खुदरा विक्रेताओं द्वारा मदिरा/बीयर आदि की ऑनलाईन डिमांड प्रस्तुत करने तथा इसकी आपूर्ति हेतु होलसेलर डिपो के साथ–साथ निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के होलसेल वेण्ड से सीधे आपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित कर इसे लागू किया जाएगा। आरएसबीसीएल द्वारा अपने डिपो का आधुनिकीकरण तथा मैकेनाइजेशन किया जाएगा व खुदरा विक्रेताओं को मदिरा के परिवहन हेतु परिवहन वाहनों को पंजीकृत करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

9.3 मदिरा/बीयर निर्माताओं को उनके उत्पादन स्थल के साथ–साथ राज्य में अन्य स्थानों पर भी स्वयं के उत्पाद के लिए होलसेल वेण्ड स्थापित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इन होलसेल वेण्ड में ड्यूटी पेड मदिरा/बीयर का भण्डारण अनुमत होगा तथा आरएसबीसीएल/आरएसजीएसएम/आबकारी विभाग के माध्यम से इन वेण्ड से सीधे रिटेलर्स को आपूर्ति की सकेगी। ऐसे हॉलसेल वेण्ड के संदर्भ में आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक लाईसेंस लेना होगा।

9.4 अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु लाईसेंसधारियों के परिसर के निरीक्षण की रेण्डमाईज्ड प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

9.5 प्रचलित नियमों में कच्चे माल से ईएनए/शोधित प्रासव उत्पादन के निर्धारित मानकों का पुनर्निर्धारण तथा बीयर उत्पादन हेतु न्यूनतम Yield से संबंधित वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर Normal Gravity तथा High Gravity Beer उत्पादन मानकों का पुनर्निर्धारण कर संबंधित नियमों में संशोधन किया जाएगा।

9.6 निर्माण इकाईयों तथा बार के लिए वार्षिक लाईसेन्स के साथ ही, चार वर्ष के लिए भी लाईसेन्स जारी करने का प्रावधान किया जाता है, जिसमें वार्षिक लाईसेन्स फीस प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी।

(10) **स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली :–**

राज्य में स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसे पूर्ण रूप से लागू किये जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

(11) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल, 2025 से होगा। परन्तु, आबकारी बन्दोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस सम्बन्धित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जानी आवयश्क होती है, अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2025 से पूर्व सम्पादित होगी।

(12) आबकारी बन्दोबस्त के अर्न्तगत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नहीं किया जायेगा।

(13) रिटेल लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(14) **मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :**

(i) **दुकानें खोलने का समय** : राज्य में मदिरा की अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) **दुकानें खुलने (10.00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8.00 बजे**) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी। एयरपोर्ट शॉप के संचालन (खुलने व बंद होने) का समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही:** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों/बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन** : मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में **"मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं"** की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयासः** 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(v) **दुकानों पर मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनीः** दुकान के बाहर सुस्पष्ट रूप से मदिरा की अद्यतन मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जायेगा।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोकः** दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसारः**

- नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस हेतु शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा
- राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जावेगा। राज्य में नशे की लत एवं इससे मुक्त होने की स्थिति का प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन भी कराया जायेगा।
- हथकढ़ शराब के व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत भाग न्यूनतम 50.00 करोड़ रूपये आरक्षित कर उपरोक्तानुसार गतिविधियां संचालित की जायेगी। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(viii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना:** सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगीः–

(a) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(b) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.12(40)वित्त/कर /2010 पार्ट–45 दिनांक 20.07.2021 द्वारा जारी की गयी मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(c) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये है।

(d) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी। इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(15) शुष्क दिवस :

राज्य में गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती पर शुष्क दिवस रखने की व्यवस्था को यथावत रखा जायेगा।

(16) अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधनः–

16.1 आबकारी निरोधक दल का जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।

16.2 शराब दुखान्तिका की घटना की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथमदृष्ट्या घटना के लिये उत्तरदायी माना जाकर तत्काल निलम्बित करते हुये, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) संबंधित जिले का जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का उपायुक्त/आबकारी अधिकारी।

(ii) आबकारी निरोधक दल का जिला स्तरीय अधिकारी यथा–सहायक आबकारी अधिकारी/उपनिदेशक निरोधक दल।

(iii) संबंधित क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक/आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का वृत्त स्तरीय अधिकारी।

(iv) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक।

(v) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने/वृत्त स्तरीय कार्यालय का बीट कॉस्टेबल।

(vi) संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस का उप अधीक्षक पुलिस।

(vii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का थानाधिकारी।

(viii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का बीट क़ॉस्टेबल।

(17) आबकारी विभाग की प्रशासनिक प्राथमिकतायें :

(i) पड़ोसी राज्यों विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध मदिरा को रोकना एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

29.1

(ii) आबकारी निरोधक दल हथकढ़ व अवैध मदिरा को रोकने के लिये कार्य किया जाता है, मदिरा दुकानों पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। एकीकृत आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन के पश्चात इस बल द्वारा अवैध मदिरा की रोकथाम के साथ ही प्रवर्तन की कार्यवाही भी की जाएगी।

(18) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या आबकारी से संबंधित अन्य विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप नियमों तक है, उनका संबंधित विधियों/नियमों/उप नियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जायेगा।

इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(19) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 के क्रियान्वयन संबंधी प्रशासनिक/वित्तीय प्रकरणों पर आने वाली समस्याओं के निदान तथा आवश्यकता अनुसार प्रावधानों में संशोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

29.1

(डॉ रवि कुमार सुरपुर)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
5. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
6. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
10. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
13. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग

परिशिष्ट-1

देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की बोतल (750 एम.एल.) का थोक निर्गम मूल्य, न्यूनतम विक्रय मूल्य तथा अधिकतम विक्रय मूल्य

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	बोतल के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य	बोतल (750 एम.एल.) का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य	बोतल (750 एम.एल.) का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य
1.	देशी मदिरा 40 यू.पी. ग्लास पात्र	628	219	262
2.	देशी मदिरा 50 यू.पी. ग्लास पात्र	569	193	231
3.	देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र	3180	561	673
4.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	743	303	363

नोटः- देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र के पव्वों (180 एम.एल.) के कार्टन का निर्गम मूल्य 4220 रूपये, एक पव्वे का न्यूनतम खुदरा मूल्य 183 रूपये तथा अधिकतम खुदरा मूल्य 219 रूपये निर्धारित किया जाता है।